न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 10/2023 बउनवानी देवीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/14

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 7.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 5.12.2022 को जिला कलेक्टर स0मा0 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया था कि प्रार्थी के मकान का पटटा नवीनीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत बिनजारी को आदेश प्रदान करे। पत्र स्पीड पोस्ट के जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाया गया था। इस पत्र के संदर्भ में की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.13(2)(8)सूकाअ/2023/1779 दिनांक 14.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 7.1.2023 के विरूद्व (दिनांक 20.1.2023 को) एक माह पूर्व ही न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2022 इस कार्यालय में आना नही पाया जाने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1597 दिनांक 13.01.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.1.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1597 दिनांक 13.01.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा जरिये स्पीड पोस्ट भिजवाया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2022 इस कार्यालय मे आना नही पाया जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही से संबंधित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। चूंकि चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर